संख्या 1712/चौवालिस-2-11/च.स0/90

प्रेषक,

श्री आर0 रमणी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव।

2- राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/नोयडा/
बीडा के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक।

लखनऊ : दिनांक 10 सितम्बर, 1990

विषय :-सार्वजनिक क्षेत्र में जनशक्ति नियोजन-सार्वजनिक उद्यम चयन समिति का गठन।

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2

उपर्युक्त विषयक पार्श्वांकित कार्यालय-ज्ञापों/शासनादेशों के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 14 दिसम्बर, 1979 के प्रस्तर-5 में सार्वजनिक उद्यमों/निगमों तथा उनकी सहायक कम्पनियों आदि में शीर्ष पदों पर चयन हेतु

1. शासनादेश सं0 5195/ब्यूरो-2-2 (45)-79, दि0 14.12.79
2. शासनादेश सं0 541/ब्यूरो-2-2 (45)-79, दि0 18.2.80
3. शासनादेश सं0 4813/ब्यूरो-2-10-7-1981, दि0 22.7.81
4. शासनादेश सं0 306/44-2 उ0वे0रि0/1983, दि0 13.10.83
5. शासनादेश सं0 62/44-2-55/1983, दिनांक 19.1.85

सार्वजनिक उद्यम विभाग के अधीन चयन समितियों का गठन किया गया है। शासन के उक्त आदेशों, जहां तक उनका सम्बन्ध सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों आदि में शीर्ष पदों पर चयन से है, के आंशिक संशोधन में सार्वजनिक उद्यम चयन समितियों के कार्यक्षेत्र में आने वाले समस्त उच्च कार्यकारी, तकनीकी तथा गैर-तकनीकी पदों के चयन के लिए श्री राज्यपाल महोदय के उपर्युक्त आदेशों के अन्तर्गत गठित चयन समितियों के कार्यक्षेत्र को समता समिति की संस्तुतियों के फलस्वरूप दिनांक 1 जनवरी, 1986 से लागू नये वेतनमानों में निम्नवत् निर्धारित किया जाता है :-

चयन समिति (प्रथम)-

सार्वजनिक उद्यमों/निगमों तथा उनकी सहायक कम्पनियों आदि के मुख्य कार्यकारी सहित तकनीकी तथा गैर-तकनीकी प्रकार के ऐसे समस्त पद, जिनके वेतनमानों की अधिकतम सीमा नये वेतनमानों में रु0 6700/- से अधिक हो तथा ऐसे पद, जिनके विरुद्ध रु0 6700/- से अधिक नियत वेतन पर नियुक्ति की जानी हो, के पदों पर चयन भी चयन समिति (प्रथम) द्वारा किया जायेगा।

चयन समिति (द्वितीय)-

सार्वजनिक उद्यमों/निगमों तथा उनकी सहायक कम्पनियों आदि के मुख्य कार्यकारी सहित तकनीकी तथा गैर-तकनीकी प्रकार के ऐसे समस्त पद, जिनके वेतनमान की अधिकतम सीमा नये वेतनमानों में रु0 5300/- से अधिक तथा रु0 6700/- तक है, के पदों पर चयन, चयन समिति (द्वितीय) द्वारा किया जायेगा।

2. मुझे यह भी कहना है कि ऐसे समस्त तकनीकी व गैर-तकनीकी पद, जिनके वेतनमानों की अधिकतम सीमा नये वेतनमानों में रु0 5300/- से अनधिक किन्तु 4500/- से अधिक है, के चयन हेतु सार्वजनिक उद्यमों द्वारा गठित चयन समितियों में महानिदेशक,

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी को सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जायेगा।

3-यह स्पष्ट किया जाता है कि अध्यक्ष, सहप्रबन्ध निदेशक तथा प्रबन्ध निदेशक अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चाहे जिस नाम से जाने जाते हों, का चयन अनिवार्यतः चयन समिति (प्रथम) अथवा चयन समिति (द्वितीय) जैसी भी स्थिति हो, द्वारा ही किया जायेगा कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी मुख्य कार्यकारी के पद का वेतनमान ऐसा हो, जिससे वह पद उपर्युक्त चयन समितियों के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत न आता हो, तो भी उसका चयन, चयन समिति (द्वितीय) द्वारा किया जायेगा।

4. उक्त सीमा तक उपरोक्त शासनादेशों को तद्नुसार संशोधित समझा जाय।

भवदीय,
आर0 रमणी,
सचिव।

संख्या 1712 (1)/44-2-11/च.स./90, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(2) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
(3) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1

आज्ञा से,
प्रेम शंकर,
विशेष सचिव।